

ई-मेल

बिहार सरकार

विधि विभाग

ज्ञाप सं०-बी०/स्था०(विविध)-20-41/2024....3352-जे०, पटना दिनांक-27.04.26.....

प्रतिलिपि:-विद्वान महाधिवक्ता, बिहार/महानिबंधक, माननीय उच्च न्यायालय, पटना/सभी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिहार/सदस्य सचिव, बिहार राज्य विधि आयोग, पटना/अपर सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, सम्पर्क कार्यालय (विधि विभाग), बिहार सदन, नई दिल्ली/पीठासीन पदाधिकारी, बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास न्यायाधिकरण, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु०:- (राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
जनगणना कोषांग का पत्रांक-150,
दिनांक-27.04.26 अनु० सहित)

Mk.
29.04.26
(मनोज कुमार झा)

सरकार के अवर सचिव, बिहार।

संचिका सं०-जन० को० (विविध पत्राचार)-17/2026-150 जन०को०/

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(जनगणना कोषांग)
(E-Mail-census.bih@gov.in)



सी० के० अनिल,
प्रधान सचिव-सह-
राज्य नोडल पदाधिकारी, जनगणना, 2027

सेवा में,

राज्यपाल के सचिव, बिहार।

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/निदेशक, बिहार, पटना।

सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार।

सभी जिला पदाधिकारी-सह-प्रधान जनगणना पदाधिकारी,
बिहार।

पटना-15, दिनांक 27/04/2026

विषय :- भारत की जनगणना-2027 के सफल संचालन हेतु नियुक्त जनगणना पदाधिकारियों/कर्मियों के स्थानांतरण को रोक लगाने एवं प्रथम चरण के अन्तर्गत स्व-गणना (Self Enumeration) की प्रक्रिया में सक्रिय सहभागिता एवं अधीनस्थ कर्मियों को निदेशित करने के संबंध में।

महाशय,

1. उपर्युक्त विषयक गृह सचिव भारत सरकार के अर्द्ध सरकारी पत्रांक-9/12/2026-CD(Cen) दिनांक-11.03.2026 में अंकित निदेशों के आलोक में जनगणना कार्य की निरंतरता, गुणवत्ता एवं सुचारु निष्पादन सुनिश्चित करने के निमित्त विभागीय पत्रांक-106 (जन०को०)/रा० दिनांक-07.04.2026 के द्वारा जनगणना 2027 हेतु नियुक्त पदाधिकारियों/कर्मियों का स्थानांतरण दिनांक-31.03.2027 तक नहीं करने संबंधी निदेश निर्गत है।

इस संबंध में अधिसूचना सं०-44(ज०को०)/रा० दिनांक-24.02.2026 के द्वारा भी सभी संबंधित विभागाध्यक्षों/अधिकारियों पर भारत की जनगणना 2027 के कार्य हेतु पर्यवेक्षकों/प्रगणकों के रूप में नियुक्त पदाधिकारियों/कर्मियों का स्थानांतरण प्रधान/जिला जनगणना पदाधिकारी की समुचित सहमति के बिना नहीं किये जाने संबंधी प्रतिबंध अधिरोपित है।

विभाग को यह सूचना प्राप्त हो रही है कि उपरोक्त निदेशों की अवहेलना करते हुए कतिपय कार्यालयों से जनगणना 2027 हेतु नियुक्त पदाधिकारियों/कर्मियों का स्थानांतरण बिना समुचित सहमति के किया जा रहा है।

अतः उपरोक्त वर्णित पत्रों एवं अधिसूचनाओं की छायाप्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि जनगणना कार्य की निरंतरता, गुणवत्ता एवं सुचारु निष्पादन सुनिश्चित करने हेतु इस कार्य में प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों/कर्मियों का स्थानांतरण दिनांक-31.03.2027 तक बिना सक्षम प्राधिकार की सहमति के न की जाय।

2. भारत की जनगणना-2027 के प्रथम चरण (मकान सूचीकरण एवं आवास गणना) के अंतर्गत स्व-गणना (Self Enumeration) का कार्य दिनांक 17 अप्रैल 2026 से 01 मई 2026 से प्रारंभ हो चुका है। इस चरण में प्रत्येक परिवार द्वारा आवासीय स्थिति, परिवार, जल, स्वच्छता एवं ऊर्जा विवरण तथा घरेलू उपकरणों की उपलब्धता से संबंधित सूचनाएँ ऑनलाइन माध्यम से स्व-प्रविष्ट की जानी है।

उपरोक्त हेतु विभागीय पत्रांक-116(जन0को0)/रा0 दिनांक-07.04.2026 (छायाप्रति संलग्न) के द्वारा स्व-गणना से संबंधित User Guideline, Self Enumeration Flow Chart एवं FAQ संलग्न करते हुए स्वयं स्व-गणना पोर्टल se.census.gov.in पर जाकर वांछित सूचनाएं अंकित करते हुए स्व-गणना की प्रक्रिया में सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने/अपने अधीनस्थ सभी अधिकारियों एवं कर्मियों को भी उक्त पोर्टल के माध्यम से स्व-गणना करने हेतु प्रेरित/निर्देशित करने एवं साथ ही सभी कर्मियों को अपने पड़ोसियों/संबंधियों को भी स्व-गणना की प्रक्रिया में शामिल होने हेतु प्रेरित करने का अनुरोध किया गया है, जिसका सत्यापन दिनांक-02.05.2026 से प्रारंभ हो रहे जनगणना के दौरान प्रगणक (Enumuerator) के रूप में विकास/प्रगति के द्वारा की जायेगी। सूचनाएँ पूर्णतः गोपनीय रहेगी एवं किसी से साझा नहीं की जायेगी। प्राप्त आँकड़ों के अनुसार स्व-गणना की प्रक्रिया में भागीदारी काफी कम पाई गई है। विदित हो कि स्व-गणना में भाग लेने की अंतिम तिथि दिनांक-01.05.2026 है।

अतः अनुरोध है कि स्व-गणना की प्रक्रिया में अपनी सहभागिता सुनिश्चित की जाय तथा अपने अधीनस्थ सभी अधिकारियों एवं कर्मियों को भी उक्त पोर्टल के माध्यम से स्व-गणना करने एवं सभी कर्मियों को अपने पड़ोसियों/संबंधियों को भी स्व-गणना की प्रक्रिया में सहयोग करने हेतु निर्देशित करने की कृपा की जाय।

अनु0-यथोक्त।

विश्वसभाजन
(सी0 के0 अनिल)
प्रधान सचिव-सह-राज्य नोडल
पदाधिकारी, जनगणना 2027

ज्ञापांक-जन0 को0 (विविध पत्राचार)-17/2026-150 जन0को0/रा0, दिनांक-27/04/26
प्रतिलिपि- निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सी0 के0 अनिल)
प्रधान सचिव-सह-राज्य नोडल
पदाधिकारी, जनगणना 2027



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

11 फाल्गुन 1947 (श०)
(सं० पटना 250) पटना, सोमवार, 02 मार्च 2026

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(जनगणना कोषांग)

अधिसूचना
24 फरवरी 2026

सं० सं० जनगणना कोषांग (अधिसूचना)-12/02-2025-44ज०को०/रा०—केंद्र सरकार द्वारा जनगणना अधिनियम, 1948 के प्रावधानों के अंतर्गत वर्ष 2027 में देशव्यापी जनगणना कार्य संपादित किया जाना अधिसूचित किया गया है और भारत की जनगणना-2027 के सफल, समयबद्ध एवं निर्बाध संचालन हेतु राज्य सरकार द्वारा आवश्यक प्रशासनिक व्यवस्थाएँ किया जाना अपेक्षित हैं।

जनगणना नियमावली, 1990 के नियम-8 (VI) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार एतद् द्वारा निम्नलिखित आदेश निर्गत करती है।

सभी संबंधित विभागाध्यक्षों/अधिकारियों पर प्रतिबंध अधिसूचित किया जाता है कि भारत की जनगणना, 2027 के कार्य हेतु पर्यवेक्षकों/प्रगणकों के रूप में नियुक्त पदाधिकारियों/कर्मियों का स्थानान्तरण प्रधान/जिला जनगणना पदाधिकारी की समुचित सहमति के बिना नहीं की जा सकेगी। यह प्रतिबंध जनगणना कार्य हेतु नियुक्ति की तिथि से जनगणना कार्य की समाप्ति तक प्रभावी रहेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सी०के० अनिल,
प्रधान सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 250-571+10-डी०टी०पी०।
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>

संचिका सं०-जन० को० (विविध पत्राचार)-17/2026-116.....जन०को०/

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(जनगणना कोषांग)
(E-Mail-census.bih@gov.in)



प्रेषक,

सी० के० अनिल,
प्रधान सचिव-सह-
राज्य नोडल पदाधिकारी, जनगणना, 2027

सेवा में,

राज्यपाल के प्रधान सचिव, बिहार।
सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/निदेशक, बिहार, पटना।
सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार।

सभी जिला पदाधिकारी-सह-प्रधान जनगणना पदाधिकारी,
बिहार।

पटना-15, दिनांक 13/4/26

विषय :- भारत की जनगणना-2027 के प्रथम चरण के अन्तर्गत स्व-गणना (Self Enumeration) की प्रक्रिया में सक्रिय सहभागिता एवं अधीनस्थ कर्मियों को निदेशित करने के संबंध में।

महाराय,

भारत की जनगणना-2027 के प्रथम चरण (मकान सूचीकरण एवं आवास गणना) के अंतर्गत स्व-गणना (Self Enumeration) का कार्य दिनांक 17 अप्रैल 2026 से 01 मई 2026 के मध्य संपादित किया जाना निर्धारित है। इस चरण में प्रत्येक परिवार द्वारा आवासीय स्थिति, परिवार, जल, स्वच्छता एवं ऊर्जा विवरण तथा घरेलू उपकरणों की उपलब्धता से संबंधित सूचनाएँ ऑनलाइन माध्यम से स्व-प्रविष्ट की जानी है।

उपरोक्त के क्रम में स्व-गणना से संबंधित User Guideline, Self Enumeration Flow Chart एवं FAQ संलग्न करते हुए अनुरोध है कि स्वयं स्व-गणना पोर्टल se.census.gov.in पर जाकर वांछित सूचनाएँ अंकित करते हुए स्व-गणना की प्रक्रिया में सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करते हुए अपने अधीनस्थ सभी अधिकारियों एवं कर्मियों को भी उक्त पोर्टल के माध्यम से स्व-गणना करने हेतु प्रेरित/निर्देशित की जाय। साथ ही सभी कर्मियों को यह भी निदेशित किया जाय कि अपने पड़ोसियों/संबंधियों को भी स्व-गणना की प्रक्रिया में शामिल होने हेतु प्रेरित करें।

दिनांक-02.05.2026 से प्रारंभ हो रहे जनगणना के दौरान प्रगणक (Enumuerator) के रूप में विकास/प्रगति घर-घर आयेंगे और वे दी गई सूचनाओं का सत्यापन करेंगे। सूचनाएँ पूर्णतः गोपनीय रहेगी एवं किसी से साझा नहीं की जायेगी।

विदित हो कि जनगणना एक अत्यंत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दायित्व है, जिसके माध्यम से प्राप्त आंकड़े नीतिगत निर्माण, संसाधन आवंटन एवं विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में आधार प्रदान करते हैं। अतः इस कार्य में आपकी सक्रिय सहभागिता अपेक्षित है।

संलग्न-

- 1 User Guideline
2. Self Enumeration Flow Chart
3. Frequently Asked Questions (FAQ)

विश्वासभाजन,
13/04/2026
(सी० के० अनिल)
प्रधान सचिव-सह-राज्य नोडल
पदाधिकारी, जनगणना 2027

ज्ञापांक-जन० को० (विविध पत्राचार)-17/2026-116 जन०को०/रा०, दिनांक 13/4/2024
प्रतिलिपि- निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनाार्थ एवं अ श्यक
कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सी० के० अनिल)
प्रधान सचिव-सह-राज्य नोडल
पदाधिकारी, जनगणना 2027

Self-Enumeration for Phase -I of Census 2027

User Guide

Introduction

Self-Enumeration (SE) is a process in Census in which residents fill and submit their household data online. The SE portal will remain open for 15 days prior to the start of House to House Houselisting Operations (HLO) by the Enumerator as per specific period notified by State/UT. Opening date and active period will be displayed in the portal. The process may take approximately 15-20 minutes and after successful submission, a unique Self-Enumeration ID (SE ID) will be generated.

Step 1: Access and Initial Login

- **Portal:** Access the portal at <https://se.census.gov.in>.
- **Initial Selection:** Select your State/UT from the dropdown and enter the Captcha to proceed.
 - *Device Tip: Using a laptop or desktop is recommended for better visibility when marking your house on the digital map.*

Step 2: Household Registration

- **Head of Household:** Enter the name of the Head of Household. A tooltip is provided beside this field to help you understand who should be considered the Head of the Household.
 - *Important: This name cannot be changed once registered.*
- **Mobile Registration:** Enter mobile number of any member of the household. Only one mobile number should be used per household, and the same cannot be used for any other household.
- **Email (Optional):** You may also provide an Email Id to receive your Self-Enumeration ID (SE ID) through email.

Step 3: Language Selection and OTP Verification

- **Language Preference:** Select your preferred language.
 - *Important: Selected language cannot be changed afterwards.*
- **OTP Verification:** Enter the One-Time Password (OTP) sent to your registered mobile number to verify and continue.
 - *Tip: Ensure your phone has proper network connectivity to receive the OTP.*

Step 4: Providing Location Details of Your Residence

- **Location Entry:** Select your District and enter your PIN (Optional) and then enter name of your Village/Town, Locality, nearby landmark. Click "Search".

Step 5: Locating your Residence on Map

- **Interactive Mapping:** A map will appear with a red marker. Drag this marker exactly on the residence to identify the exact location of the residential building. Click "Save & Next". A confirmation message will appear for validating the location information.

- Purpose: This will help in assigning the SE data to specific Houselisting Block (HLB) for confirmation by Enumerator during house to house visit.

Step 6: Completing the Questionnaire

- **Data Entry:** Fill in the Houselisting and Housing Census questionnaire.
- **Guidance Tools:** Use the Notes (below questions), "Tooltips" and the "FAQs" for help with specific questions.
- **Uniformity:** The questionnaire is identical to the one used by enumerators. Certain details such as Building Number, Census House Number, Use of Census House, and Household Number are recorded separately by the Enumerator during her/his field visit.
- **Navigation:** The system requires you to complete the current screen before moving forward, though you can go back to edit previous entries at any time.

Step 7: Review of entered data

- **Preview:** Use the Preview screen to check all entered data section-wise. Editing the data is possible at this Stage.
- **Save as Draft:** You can save the information as a draft to finalise and submit before the last date.

Step 8: Final Submission

- **Locking Data:** Click "Final Submit" once you are satisfied. No further changes or edits can be made after this action, except by the Enumerator.
- **Submission Deadline:** The last date of submission will be displayed as a marquee in all pages. If not finally submitted before the State/UTs closing date, the Self-Enumeration will not be considered complete.
- **Generation of ID:** Upon successful submission, a unique 11-digit SE ID (prefixed with "H") is generated and displayed. The SE ID is also sent via SMS and Email (if provided). It is recommended to take a screenshot and note it down.
- **Retrieving SE ID:** Provision to retrieve SE ID at a later date from portal through registered mobile number is available.

Step 9: Field Validation

- **Enumerator Visit:** When a Census Enumerator visits your home, share your SE ID with her/him.
- **ID Matching:**
 - If the SE ID matches with any of the SE IDs present on the Enumerator's mobile, your SE data is confirmed, accepted and submitted.
 - In case SE ID do not match, the Enumerator will collect your household data afresh.

Self-Enumeration Flow Chart



Portal Access & Login

1 Visit <https://se.census.gov.in>, select State/UT, enter Captcha.

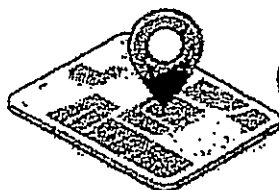
Household Registration

2 Enter Head of Household Name, 10-digit Mobile Number, Email Id (Optional)

Name of Head of Household can not be changed later

Only one Mobile Number should be used per household; once registered, the same cannot be used for any other household.

SECTION 2: VERIFICATION AND LOCATION IDENTIFICATION



Language & OTP Verification

3 Select preferred language and enter OTP sent to registered mobile number.

Selected Language cannot be changed later

Provide Location Details

4 Select District and enter PIN, Village/Town/Locality.

Locate Your Residence on Map

5 Drag the Red Marker on the map to identify your exact residential building and confirm location.

SECTION 3: DATA ENTRY AND FINAL SUBMISSION

Complete the Questionnaire

6 Fill in the Houselisting and Housing Census Questionnaire guided by Tooltips, FAQs and "Essential Information" notes.

Preview and Review

7 Use the Preview Screen to check all entered data; you can edit entries, save a draft to submit later, or submit finally.

Final Submission

8 Click "Final Submit" to lock your data; no changes can be made after Final Submission

GENERATION OF THE SE ID

Upon submission, a unique 17-digit SE ID (prefixed with "H") is generated and sent via SMS & Email (if provided)

SECTION 4: FIELD VALIDATION



Enumerator Visit

9 When a Census Enumerator visits your home, share your SE ID with her/him.

ID Matching Outcomes

If SE ID matches with an existing record, details are confirmed and submitted; if not, Enumerator will collect data afresh.



भारत की जनगणना-2027 CENSUS-2027

जनगणना से जन कल्याण

स्व-गणना: 17.04.2026 से 01.05.2026

FAQ
पूछे जाने वाले प्रश्न



विकास



प्रगति

विकास प्रश्न पूछते हैं	प्रगति का उत्तर
(क) क्या कोई अभिलेख दिखाना है ?	नहीं
(ख) क्या Cyber Cafe से स्वगणना हो सकती है ?	नहीं
(ग) क्या आपकी सूचना को गोपनीय रखा जाएगा ?	हाँ
(घ) क्या आंकड़ों का इस्तेमाल अन्य सरकारी विभाग करेगा ?	नहीं
(ङ.) किस website पर जाना होगा ?	se.census.gov.in
(च) अगर Migrant Labour है तो कहाँ से भरेगा ?	जहाँ काम करता है। (कर्मभूमि)
(छ) प्रदेश के बाहर पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी क्या दिल्ली, पुणे, बैंगलोर, बनारस इत्यादि में स्व-गणना बिहार में भर सकेंगे ?	नहीं
(ज) अगर रेंट पर हैं तो जहाँ प्रवास है वहीं से करेंगे ?	हाँ
(झ) क्या आधार दिखाना होगा ?	नहीं
(ञ) क्या Rent Agreement दिखाना होगा ?	नहीं
(ट) क्या Passport दिखाना होगा ?	नहीं
(ठ) क्या अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी की गणना होगी ?	नहीं

सरकार के प्रधान सचिव
सह
राज्य नोडल पदाधिकारी
(जनगणना)

पत्रांक-जन0को0(विविध पत्राचार)-17/2026.....10.6.....(जन0को0)



बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
जनगणना कोषांग

E-mail :- census-bih@gov.in

प्रेषक,

सी0के0 अनिल,
प्रधान सचिव-सह-
राज्य समन्वयक जनगणना, 2027

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी
-सह-
प्रधान जनगणना पदाधिकारी,
बिहार।

दिनांक: 07/4/2026

विषय :- जनगणना, 2027 के सफल संचालन हेतु नियुक्त जनगणना पदाधिकारियों/
कर्मियों के स्थानांतरण पर रोक लगाने के संबंध में।
प्रसंग :- गृह सचिव, भारत सरकार का अर्द्धसरकारी पत्र सं0-9/12/2026-CD(Cen),
दिनांक-11.03.2026

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र की छायाप्रति संलग्न करते हुए सूचित करना है कि जनगणना 2027 की तैयारियाँ अब जोरों पर हैं। इस बार की जनगणना डिजिटल माध्यम से दो चरणों में निष्पादित की जानी है। प्रथम चरण (मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना) का कार्य अप्रैल से सितंबर-2026 के मध्य निर्धारित है, जबकि द्वितीय चरण (जनसंख्या गणना) फरवरी, 2027 में संपन्न होगा।

2. विदित हो कि जनगणना कार्य एक समयबद्ध और वैधानिक प्रक्रिया है, जो "जनगणना अधिनियम, 1948" एवं "जनगणना नियमावली, 1990" के प्रावधानों के अंतर्गत संचालित होती है। इस कार्य हेतु राज्य, जिला, अनुमण्डल और प्रखण्ड स्तर पर अधिकारियों एवं कर्मियों की नियुक्ति एवं प्रशिक्षण की प्रक्रिया प्रारंभ की जा चुकी है।

3. अतः भारत सरकार के निदेशों के आलोक में जनगणना कार्य की निरंतरता, गुणवत्ता और सुचारु निष्पादन सुनिश्चित करने हेतु यह आवश्यक है कि इस कार्य में प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों/कर्मियों का स्थानांतरण दिनांक-31.03.2027 तक न किया जाए।

4. कृपया उक्त निदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

अनुलग्नक:- यथोक्त।

विश्वासभाजन
07/04/2026

(सी0 के0 अनिल)
प्रधान सचिव-सह-राज्य
समन्वयक जनगणना, 2027

ज्ञापांक- जन0को0(विविध पत्राचार)-17/2026-.....106 रा0, दिनांक-07/4/2026

प्रतिलिपि:- सभी विभागाध्यक्ष/मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी, सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(सी0 के0 अनिल)

प्रधान सचिव-सह-राज्य
समन्वयक जनगणना, 2027

ज्ञापांक- जन0को0(विविध पत्राचार)-17/2026-.....106

रा0, दिनांक-7/4/2026

प्रतिलिपि:- भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आगुक्त, नई दिल्ली (hshso@nic.in) के उनके अर्द्धसरकारी पत्र सं0-9/12/2026-CD(Cen), दिनांक-1.03.2026 के आलोक में एवं निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(सी0 के0 अनिल)

प्रधान सचिव-सह-राज्य
समन्वयक जनगणना, 2027

गोविंद मोहन, भा.प्र.से.
GOVIND MOHAN, IAS



E-Mail

गृह सचिव
Home Secretary

भारत सरकार
Government of India

कर्तव्य भवन-3 / Kartavya Bhavan-3,
नई दिल्ली / New Delhi

R.200, Revenue

मुख्य सचिव कोषागार, बिहार

12 MAR 2026

D.O. No. 9/12/2026-CD(Gen) 18 MAR 2026

वितरण शाखा

निम्नर ३ संक

11th March, 2026

Dear Chief Secretary,

Chief Secretary, Bihar

As you are aware, the ~~preparations~~ ^{operations} for conduct of Census 2027 are now in full swing. It shall be conducted digitally in two phases along with the provision for Self-Enumeration. The 1st phase of the Census i.e., Houselisting and Housing Census, will be conducted in a period of 30 days during April - September, 2026 in all the States/ UTs as notified by them. The 2nd phase i.e., Population Enumeration shall be conducted in February, 2027 (September, 2026 in Ladakh, and the snow bound areas of J&K, Himachal Pradesh, and Uttarakhand).

2. The process of appointment of Census Officers, at the level of the States, Districts, Tehsils, and up to the Enumeration Blocks has already commenced in most of the States/UTs. The training of these Census functionaries has also started in various States/ UTs. These officers are required to discharge statutory functions under the Census Act, 1948 and Census Rules, 1990. It is important that once appointed, they are not shifted till the entire Census Operation is over.

3. I shall be grateful, if you could arrange to issue necessary instructions ensuring that Census functionaries appointed for Census 2027 are not transferred till 31st March, 2027. It will be highly appreciated if a copy of the instructions in this connection is endorsed to the Office of the Registrar General and Census Commissioner of India.

With regards,

Yours sincerely,

(Govind Mohan)

Chief Secretaries of all States and UTs.

गोविंद मोहन, भा.प्र.से.
GOVIND MOHAN, IAS



सत्यमेव जयते

गृह सचिव
Home Secretary

भारत सरकार

Government of India

कर्तव्य भवन-3 / Kartavya Bhavan-3

नई दिल्ली / New Delhi,

अर्द्धशासकीय पत्र सं.: 9/12/2026-CD(Cen)

दिनांक: 11 मार्च, 2026

प्रिय मुख्य सचिव,

जैसा कि आप विदित हैं, जनगणना 2027 की तैयारियां अब 'जोरो' पर हैं। इसे स्व-गणना के प्रावधान के साथ दो चरणों में डिजिटल माध्यम से निष्पादित किया जाएगा। जनगणना का पहला चरण, मकान-सूचीकरण एवं मकानों की गणना अप्रैल-सितंबर, 2026 के दौरान सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में उनकी स्थानीय परिस्थिति के अनुसार 30 दिनों की समय अवधि में किया जाएगा। दूसरा चरण, जनसंख्या गणना फरवरी, 2027 में (लद्दाख, और J&K, हिमाचल प्रदेश, और उत्तराखंड के बर्फ से ढके इलाकों में सितंबर, 2026 में) आयोजित किया जाएगा।

2. ज्यादातर राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में राज्य, जिला, तहसील और गणना ब्लॉक स्तर तक, जनगणना अधिकारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया पहले ही आरम्भ हो चुकी है। इन जनगणना अधिकारियों का प्रशिक्षण भी अलग-अलग राज्यों/UTs में प्रारंभ हो गया है। इन अधिकारियों को जनगणना अधिनियम, 1948 एवं जनगणना नियमावली, 1990 के अंतर्गत वैधानिक कार्य करने होते हैं। अतः यह आवश्यक है कि एक बॉर जनगणना कर्मों के रूप में नियुक्ति लेने के बाद, उन्हें तब तक स्थानांतरित न किया जाए जब तक सम्पूर्ण जनगणना कार्य निष्पादित न हो जाए।

3. मैं आपको आभारी रहूंगा, यदि आप आवश्यक निर्देश जारी करने की व्यवस्था कर सकें, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि जनगणना 2027 के लिए नियुक्त जनगणना पदाधिकारियों का 31 मार्च, 2027 तक स्थानांतरण न हो। बहुत अच्छा रहेगा, यदि इस विषय पर जारी निर्देशों की एक प्रति भारत के अहोरात्रिस्तर एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय, नई दिल्ली को भी प्रेषित की जाए।

सादर,

आपका शुभाकांक्षी,

(गोविंद मोहन)

मुख्य सचिव (सभी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश)